

प्रत्यर्थी/अनावेदक सहित श्री बेग अधिवक्ता।

प्रकरण में राजीनामा किये जाने के संबंध में उभयपक्ष से पूछताछ किये जाने पर उभयपक्ष ने राजीनामा की सम्भावना व्यक्त की है तथा मध्यस्थता के माध्यम से राजीनामा की कार्यवाही किये जाने में सहमति व्यक्त की। अतएव उभयपक्ष की सहमति के आधार पर प्रकरण में पृथक से राजीनामा हेतु ज्ञापन तैयार कर मध्यस्थ श्री डी.एस.मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर को प्रेषित किया जावे।

उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त मध्यस्थ न्यायालय के समक्ष कुछ समय पश्चात् आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की प्रति के साथ उपस्थित रहे।

निष्पादन लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण रिफर किये जाने के संबंध में रजिस्टर में विधिवत प्रविष्टि दर्ज की जावे। उक्त प्रविष्टि को पीठासीन अधिकारी से प्रमाणित कराया जावे।

प्रकरण Mediator Judge के प्रतिवेदन हेतु दोपहर पश्चात् पेश हो।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र, श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

पश्चात् :-

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण में Mediator Judge का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि पक्षकारगण के मध्य की गई मध्यस्थता कार्यवाही का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष ने मध्यस्थता कार्यवाही में तय की गई शर्तों के अनुरूप राजीनामा आवेदन तैयार कर स्वयं के हस्ताक्षर कर पेश किया।

उभयपक्ष ने उक्त प्रावधान में निवेदन किया है कि उनका आपसी समझौता हो चुका है, जिसके अंतर्गत उभयपक्ष साथ में रहने हेतु तैयार हुए। उनके मध्य कोई विवाद नहीं है। अतएव उपरोक्त अनुसार राजीनामा स्वीकार कर प्रकरण समाप्त किया जावे।

उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण में उभयपक्ष ने स्वैच्छया पूर्वक बिना किसी डर या दबाव के राजीनामा किया जाना प्रकट किया है। राजीनामा स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रकट नहीं होती है। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्ता श्री आर.आर.पटले एवं बेग द्वारा की गई। अतएव उपरोक्तानुसार राजीनामा स्वीकार कर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर, समयावधि के भीतर अभिलेखागार दाखिल किया जावे।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र, श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट